न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 241/2016 वाद

रामचन्द्र पिता केशुराम नायक, उम्र 73 साल, पेशा काश्त, निवासी नया खेड़ा (खेड़ाजदीद) तह0 निम्बाहेड़ा, राज.।

– वादीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

श्री राधेश्याम धाकड़, अधिवक्ता वादी, उपस्थित

पैरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा, उपस्थित

निर्णय **दिनांक 25.02.2020**

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादीगण ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके मौजा सापलिया खेड़ी की खाता संख्या 23 की आराजी नं. 159 शामिल नं. 103 रकबा 1.5400 हैक्टैयर भूमि स्थित है। यह भूमि धुली दुख्तर कालु पत्नी केशुराम नायक निवासी नयाखेड़ा के खातेदारी में दर्ज थी जिन्होनें अपने जीवनकाल में उक्त आराजी अपने एक मात्र पुत्र वादी रामचन्द्र पिता केशुराम नायक निवासी नयाखेड़ा को उसकी सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर वसीयत कर दी। तब से वादी इस आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। साक्ष्य में वसीयतनामा की छायाप्रति प्रस्तुत है। धुली बाई का दिनांक 29.02.2012 को देहान्त हो चुका है। वादी ने अपने नाम इन्तकाल अमल दरामद करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादी के नाम अमल दरामद नहीं की इसलिए यह दावा प्रस्तुत करना पड़ रहा है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा डिक्री करते हुए वादग्रस्त आराजीयात वादी की खातेदारी व कब्जे की घोषित की जावे तथा राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम अमल दरामद करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी पैरोकार सरकार न्यायालय में उपस्थित हुए तथा जवाब प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया की प्रश्नगत आराजीयात धुली दुख्तर कालु नायक, निवासी चांदखेडा के नाम दर्ज रेकार्ड है। वर्तमान में उक्त भूमि पर वादी रामचन्द्र पिता केशुराम नायक निवासी नयाखेडा उर्फ खेडा जदीद के कब्जे में होकर उसी के द्वारा काश्त की जा रही है।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने नकल जमाबन्दी संवत 2071-74 ग्राम सापलिया खेडी की खाता संख्या 23 प्रदर्श-1, वसीयतनामा दिनांक 30.04.2010 प्रदर्श-2 व मृत्यु प्रमाण पत्र धुली बाई दिनांक 05.11.2012 प्रस्तुत किया है। मौखिक साक्ष्य में वादी ने स्वयं का पीडब्ल्यु-1, अम्बालाल पिता नानालाल माली पीडब्ल्यु-2, छगनलाल पिता घीसा नायक पीडब्ल्यु-3 व प्रेमचन्द पिता सीताराम नायक पीडब्ल्यु-4 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये व बयान करवाये। प्रदर्श-1 अनुसार विवादित भूमि वाके मौजा सापलिया खेडी की खाता संख्या 23 की आराजी नं. 159 शा.नं. 103 रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि धुली दुख्तर कालु नायक, निवासी चांदखेड़ा के नाम दर्ज रेकार्ड है। वसीयत अनुसार उक्त भूमि धुली बाई ने वादी को वसीयत की है। वसीयत के गवाहों ने न्यायालय में उपस्थित होकर वसीयत को स्वीकार करते हुए मौके पर वादी का कब्जा भी बताया है। ऐसी स्थिति में वादी का दावा स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा सापलिया खेडी की खाता संख्या 23 की आराजी नं. 159 शा.नं. 103 रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि वादी रामचन्द्र पिता केशुराम नायक की खातेदारी की घोषित की जाती है। मृतका धुली बाई का नाम खाते से विलोपित किया जावे तथा वादी रामचन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आज तारीख 25.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः– पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 241/2016 वाद

रामचन्द्र पिता केशुराम नायक, उम्र 73 साल, पेशा काश्त, निवासी नया खेड़ा (खेड़ाजदीद) तह0 निम्बाहेड़ा, राज.।

– वादीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में आज दिनांक को वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम धाकड़ की तथा प्रतिवादीगण की ओर से पैरोकार सरकार की उपस्थिति में पत्रावली अन्तिम बहस के लिए प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है कि वाद वादी कतई डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि वाके मौजा सापलिया खेडी की खाता संख्या 23 की आराजी नं. 159 शा.नं. 103 रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि वादी रामचन्द्र पिता केशुराम नायक की खातेदारी की घोषित की जाती है। मृतका धुली बाई का नाम खाते से विलोपित किया जावे तथा वादी रामचन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 25.02.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री में संशोधन

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी निम्बाहेड़ा

पीठासीन अधिकारीः— पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण सं. 241/2016 वाद

रामचन्द्र पिता केशुराम नायक, उम्र 73 साल, पेशा काश्त, निवासी नया खेड़ा (खेड़ाजदीद) तह0 निम्बाहेड़ा, राज.।

– वादीगण

//बनाम//

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

दावा

अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि.

प्रकरण में दिनांक 25.02.2020 को अन्तिम डिक्री जारी की गई थी। अधिवक्ता वादी ने धारा 152 सीपीसी का आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि डिक्री में कुल रकबा तो सही अंकित किया गया है परन्तु आराजी नम्बर गलत अंकित हो गये हैं जिन्हे सुधारा जावे। हमने रेकार्ड व प्रार्थना पत्र का अवनलोकन किया। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नामान्तरकरण संख्या 115 में ग्राम सापलिया खेडी की खाता संख्या 23 की आराजी नं. 159 शा. नं. 103 रकबा 1.5400 हैक्टेयर को आराजी नं. 159, 160 व 103 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5400 हैक्टेयर कुल लगान 18.48 रूपये अंकित किया गया है। प्रार्थी डिक्री में भी इसी अनुसार संशोधन चाहता है जो किया जाना उचित है।

अतः प्रकरण में जारी डिक्री दिनांक 25.02.2020 में संशोधन करते हुए मौजा सापलिया खेडी की खाता संख्या 23 की आराजी नं. 159, 160 व 103 कुल किता 3 कुल रकबा 1.5400 हैक्टेयर भूमि वादी रामचन्द्र पिता केशुराम नायक की खातेदारी की घोषित की जाती है। मृतका धुली बाई का नाम खाते से विलोपित किया जावे तथा वादी रामचन्द्र के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आज तारीख 09.06.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर **दी गई।**

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.07.03 14:57:29 IST
Reason: SelfAttested
Location: